न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 17 / 2025

पीठासीन अधिकारी –कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :—

1. थानाराम 2.कंवरराम पि.बालाराम
जाति जाट, निवासी पंवारिया तला,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

1.नाराराम 2.वगताराम पि.रूपाराम 3.नरसिंगाराम 4.भेराराम 5.रूखमणाराम पि.रामू 6.पाबूराम 7.मलाराम पि.भेराराम 8.वरजू पत्नि घमण्डाराम,
जाति जाट, निवासी पंवारिया तला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
9.शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चौहटन
10.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण —

प्रार्थीगण :— **श्री फताराम गोदारा**
विप्रार्थीगण :— **एकतरफा**

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

निर्णय

दिनांक :— 05.06.2025

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 2 का खेत मौजा पंवारिया का तला (लीलसर) तहसील चौहटन के खसरा सं. 808 / 721, 809 / 721, 810 / 721 रकबा क्रमशः 01.7415, 05.2245, 03.4829 हैक्टयर एवं प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 8 का खेत मौजा पंवारिया का तला (लीलसर) तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 812 / 720, 813 / 720 रकबा क्रमशः 02.6102, 07.8307 हैक्टयर का आया हुआ है।

उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा जमाबन्दी में अंकन करते समय प्रार्थीगण के पिता का गलत नाम [illegible] दिया गया जबकि प्रार्थीगण के पहचान दस्तावेज, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास, प्रार्थीगण के पिता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:27:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

मृत्यू प्रमाण पत्र, ग्राम विरधसिंह की ढाणी (शिव) के खेत की जमाबन्दी इत्यादि में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम बालाराम इन्द्राज है । प्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड एवं पहचान दस्तावेजों में नाम की भिन्नता होने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए प्रार्थीगण के पिता का सही नाम दुरस्त करवाना आवश्यक होने से यह रेकर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में दर्ज थानाराम पुत्र वालाराम, कंवराराम पुत्र वालाराम की जगह सही नाम थानाराम पुत्र बालाराम, कंवराराम पुत्र बालाराम दुरस्त किया जावे।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण के नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार धनाऊ द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम वालाराम के स्थान पर बालाराम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया ।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन मौजा पंवारिया का तला (लीलसर) के खसरा सं. 808/721, 809/721, 810/721 एवं खसरा सं. 812/720, 813/720 में दर्ज थानाराम पुत्र वालाराम एवं कंवराराम पुत्र वालाराम के स्थान पर थानाराम पुत्र बालाराम एवं कंवराराम पुत्र बालाराम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:27:40 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन